मुख्यालय
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
"गौरा देवी पर्यावरण भवन"
46बी, आई.टी. पार्क, सहस्त्रधारा रोड़, देहरादून
E-mail : msukpcb@yahoo.com, दूरभाषः 0135-2607092

# उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 34 वीं बैठक का कार्यवृत्त

उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 34वीं बैठक दिनांक 20.01.2026 को उत्तराखण्ड सचिवालय में अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्न सदस्यों द्वारा प्रतिभाग किया गया:–

1. श्री एस.पी. सुबुद्धि, निदेशक, राज्य पर्यावरण संरक्षण एवं जलवायु परिवर्तन, निदेशालय, उत्तराखण्ड।
2. श्री पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
3. श्री संतोष बडोनी, अपर सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. श्री शिवस्वरूप त्रिपाठी, संयुक्त सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. डॉ. अनिता चमोला, सम्भागीय परिवहन अधिकारी (ई), देहरादून।
6. श्री तनवीर सिंह, उप नगर आयुक्त, नगर निगम, देहरादून।
7. श्री रवि पाण्डेय, अधीक्षण अभियन्ता, शहरी विकास विभाग, देहरादून।
8. श्री शान्ति सिंह रावत, अधिशासी अभियन्ता, एम.डी.डी.ए.।
9. प्रोफेसर प्रसनजीत मॉण्डल, आई.आई.टी., रूड़की।
10. श्री दुर्गेश डिमरी, रजिस्ट्रार, दून विश्वविद्यालय, देहरादून।
11. श्री विनय झिंकवान, ए.जी.एम. (सिविल), सिड्कुल।

**वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग के माध्यम से–**

1. अध्यक्ष, कुमाऊ गढवाल चैम्बर आफ कामर्स एडं इन्डस्ट्रीज काशीपुर।
2. सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, काशीपुर।
3. सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम, कोटद्वार।

सर्वप्रथम सदस्य सचिव, द्वारा बोर्ड अध्यक्ष एवं सभी बोर्ड सदस्यों का स्वागत करते हुये अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। बोर्ड बैठक में प्रस्तावित कार्य सूची के बिन्दुओं पर विचार विमर्श कर सर्वसम्मत से निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

| एजेन्डा सं0 | विवरण | निर्णय |
|---|---|---|
| 34.1 | **33 वीं बोर्ड बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन व 33वीं बोर्ड बैठक में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या।** | बोर्ड द्वारा 33वीं बोर्ड बैठक की अनुपालन आख्या से अवगत होते हुए उक्त बैठक के कार्यवृत्त का अनुमोदन किया गया। |
| 34.2 | **भारत सरकार की परियोजना** National Ambient Air Monitoring Programme (NAMP) **में कार्यरत कार्मिकों द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड में वाद पर नियमितिकरण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये** | बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि प्रकरण पर सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता में स्क्रीनिंग समिति गठित की जाये जिसमें वित्त नियंत्रक को भी सम्मिलित किया जाये। समिति की आख्यानुसार आगामी बैठक में बोर्ड के समक्ष प्रस्ताव रखा जाये। |

| | | |
|---|---|---|
| | **आदेशो पर बोर्ड से निर्देश प्राप्त करने के सम्बन्ध मे।** | |
| 34.3 | **पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि के उपयोग किये जाने सम्बन्ध में प्रस्तावित मानक प्रचालन पद्धति ।** | बोर्ड द्वारा प्रस्तावित ऐजेन्डा पर अपनी सहमति व्यक्त की एवं निर्णय लिया कि पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति धनराशि के उपयोग किये जाने के सम्बन्ध में बोर्ड द्वारा बनायी गई मानक प्रचलन पद्धति को पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति फन्ड उपयोग हेतु मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाये। |
| 34.4 | **बोर्ड के नियमित कार्मिकों (सेवारत व सेवानिवृत्त) को अनुमन्य राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना का लाभ के क्रम में कार्मिकों को अशंदान का व्ययभार बोर्ड द्वारा वाहन किये जाने के सम्बन्ध में।** | बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश के अनुरूप कार्मिक अंशदान का व्ययभार सम्बन्धित पात्र कार्मिक द्वारा ही वहन किया जायेगा। |
| 34.5 | **उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड हेतु मानवशिक्त एवं कार्यालयों के विस्तार का प्रस्ताव बोर्ड से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने के सम्बन्ध मे।** | प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| 34.6 | **स्टोनक्रेशर/रिक्रनिंग प्लांट/खनन/ (आर.बी.एम.)/इन्डक्शन फर्नेस व रोलिंग मिल श्रेणी के उद्योगों के सहमति/प्राधिकार पर निर्णय लेने की शक्तियॉ बोर्ड मुख्यालय स्तर पर प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध मे।** | बोर्ड द्वारा उत्तराखण्ड राज्य में किसी भी विनियोजन के स्थापित होने वाले/ संचालित स्टोनक्रेशर/रिक्रनिंग प्लांट/खनन/ (आर.बी.एम.)/इन्डक्शन फर्नेस व रोलिंग मिल के स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति/प्राधिकार पर निर्णय लेने की शक्तियाँ सदस्य सचिव, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रतिनिधायन करने का निर्णय लिया गया।<br>उपरोक्त के साथ–साथ बोर्ड द्वारा हरित श्रेणी के उद्योगों के ऐसे प्रकरण जहाँ विनियोजन रू0 10.00 करोड़ तक है, उनके स्थापनार्थ/संचालनार्थ सहमति/प्राधिकार पर निर्णय लेने की शक्तियाँ सम्बन्धित क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रतिनिधायन करने का निर्णय लिया गया। |
| 34.7 | **बोर्ड के नियमित कार्मिकों को जनवरी 2025 से बढे हुये महंगाई भत्ते की दर (53 प्रतिशत से 55 प्रतिशत) एवं जुलाई 2025 से बढे हुये महंगाई भत्ते की दर (55 प्रतिशत से 58 प्रतिशत) अनुमन्य किये जाने के सम्बन्ध में ।** | बोर्ड द्वारा प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया एवं यह भी निर्णय लिया गया कि भविष्य में उत्तराखण्ड शासन द्वारा सार्वजनिक निकायों हेतु समय–समय पर निर्गत किये जाने वाले महंगाई भत्ते सम्बन्धी आदेशों में अंकित महंगाई भत्ते की दरों को बोर्ड के नियमित कार्मिकों पर लागू करने की कार्यवाही अध्यक्ष, बोर्ड के अनुमोदन से की जाये। |
| 34.8 | **राज्य बोर्ड में संचालित प्रयोगशालाओं को NABL Accreditation की** | बोर्ड द्वारा प्रस्ताव के अवलोकन के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गये– |

| | | |
|---|---|---|
| | **प्रगित से बोर्ड का अवगत के सम्बन्ध में।** | 1. प्रयोगशाला के विभिन्न क्रियाकलापों हेतु मानक प्रचलन पद्धति विकसित की जाये।<br>2. प्रयोगशाला द्वारा नमूना एकत्रण एवं नमूना जांच/प्राप्त आंकड़ों की ट्रैकिंग हेतु वैब/मोबाईल एप्लिकेशन सिस्टम तैयार किया जाये।<br>3. क्षेत्रीय कार्यालय, काशीपुर एवं रूड़की हेतु NABL Accreditation की कार्यवाही प्रारम्भ की जाये।<br>4. वर्तमान बोर्ड बैठक की तिथि से आगामी बोर्ड बैठक की तिथि तक की स्थिति के अनुसार प्रयोगशाला में किये गये कार्यों का विवरण आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाये। |
| 34.9 | **बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय हल्द्वानी एवं देहरादून की भवन पुर्न निर्माण पर वर्तमान तक की कार्यवाही से बोर्ड को अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में।** | बोर्ड द्वारा प्रस्तावित ऐजेन्डा पर अंकित प्रगति से अवगत होते हुए निर्णय लिया गया कि कार्यों को अपेक्षित तेजी के साथ सम्पन्न कराया जाये एवं उक्त प्रस्ताव पर उत्तराखण्ड शासन स्तर पर टी.ए.सी. अनुमोदन की आवश्यकता अथवा बोर्ड स्तर पर ही टी.ए.सी. के माध्यम से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन के वित्त विभाग से स्पष्ट सूचना प्राप्त कर ली जाये। |
| 34.10 | **चिन्हित सफेद श्रेणी के उद्योगों के सम्बन्ध में बोर्ड को अवगत कराते हुये कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव ।** | प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा चिन्हित 11 मुख्य सैक्टरों की 83 इकाईयों को सफेद श्रेणी में चिन्हित किये जाने पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| 34.11 | **दूनघाटी के अन्तर्गत नारंगी श्रेणी उद्योगों की स्थापनार्थ सहमति हेतु बनायी गई मानक प्रचालन पद्धति पर बोर्ड से कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव ।** | भारत सरकार की अधिसूचना 13.05.2025 के माध्यम से दून घाटी अधिसूचना 1989 में किये गये संशोधन जिसमें ई.आई.ए. अधिसूचना से बाहर नारंगी श्रेणी के उद्योगों पर विचार किये जाने हेतु राज्य बोर्ड द्वारा प्रक्रिया निर्धारित किये जाने सम्बन्धी प्रावधान के दृष्टिगत सम्बन्धित प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा उक्त हेतु बनायी गयी मानक प्रचलन पद्धति पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| 34.12 | **जल/वायु सहमति के आवेदनों के त्वरित निस्तारण हेतु Third Party Institution के cmpanelment से बोर्ड को अवगत करते हुये कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त किये जाने सम्बन्धी प्रस्ताव ।** | अवगत कराया गया कि जल अधिनियम/वायु अधिनियम के अन्तर्गत नारंगी एवं हरी श्रेणी के इकाईयों के सहमति आवेदन पत्रों की प्रोसेसिंग हेतु निम्न Third Party Institution को cmpanel किया गया है:–<br>1. Indian Institute of Technology, Roorkee.<br>2. Council of Scientific and Industrial Research-Indian Institute of Petroleum (CSIR-IIP) Dehradun. |

| | | |
|---|---|---|
| | | 3. G.B. Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar.<br>4. Indian Institute of Technology, Kanpur.<br>5. Indian Institute of Technology, Delhi.<br>प्रस्ताव पर बोर्ड द्वारा कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की गई। |
| 34.13 | **अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य विषय।**<br>**लाल श्रेणी के उद्योगों में सतत जल गुणवत्ता निगरानी प्रणाली** (Continuous Water Quality Monitoring System) **एवं** Online PTZ Camera **की स्थापना के सम्बन्ध में।** | बोर्ड द्वारा निर्णय लिया गया कि–<br>1. ऐसे लाल श्रेणी के उद्योग जो जी.पी.आई. के अंतर्गत चिन्हित नहीं हैं परन्तु जिनमें निरन्तर उत्प्रवाह का निस्तारण होता है वहाँ उपचारित उत्प्रवाह के निकास बिन्दु पर (Continuous Water Quality Monitoring System) की स्थापना कराने हेतु बोर्ड द्वारा नियामक कार्यवाही की जाये।<br>2. ऐसे लाल श्रेणी के उद्योग जहाँ उत्प्रवाह का Intermitant निस्तारण नहीं होता है एवं ऐसे उद्योग जहाँ Zero Liquid Discharge किया जाता है, उनमें उत्प्रवाह के निकास बिन्दु/ई.टी.पी. ऐरिया/ZLD Unit पर ऑनलाईन PTZ Camera की स्थापना कराने हेतु बोर्ड द्वारा नियामक कार्यवाही की जाये।<br>3. उपरोक्त सैन्सर/कैमरा की कनेक्टीविटी हेतु राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को उपलब्ध करायी जायेगी जिस हेतु बोर्ड द्वारा वांछित लोजिस्टिक्स स्थापना की कार्यवाही की जाये। |
| | **अन्य निर्णय** | 1. बोर्ड बैठक प्रत्येक त्रैमास में आयोजित करायी जाये।<br>2. वर्ष 2026–27 के बजट के सम्बन्ध में विशेष बैठक स–समय आयोजित करायी जाये।<br>3. यथा आवश्यक बोर्ड बैठक में अपर सचिव पर्यावरण को विशेष आमंत्री के रूप में आमंत्रित किया जाये। |

अंत में सभी मान्य सदस्यों के धन्यवाद के उपरान्त बैठक समाप्त की गयी। उपरोक्त कार्यवृत्त अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुमोदन के उपरान्त निर्गत किया जा रहा है।

(डॉ. पराग मधुकर धकाते)
सदस्य सचिव

अनुमोदित

(आर.के. सुधांशु)
अध्यक्ष

यूकेपीसीबी/एच.ओ./सा.–(34वीं बोर्ड बैठक) 2026/1800. दिनांक– 07/02/2026

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. प्रमुख सचिव, वन एवं पर्यावरण/अध्यक्ष, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रमुख सचिव/सचिव, परिवहन, उत्तराखण्ड शासन।
3. प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, चिकित्सा, उत्तराखण्ड शासन।
5. निदेशक, पर्यावरण निदेशालय, गौरा देवी पर्यावरण भवन, देहरादून।
6. उपाध्यक्ष, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ट्रांसपोर्ट नगर, सहारनपुर रोड, नियर आई.एस.बी.टी., देहरादून।
7. उपाध्यक्ष, झील विकास प्राधिकरण, नैनीताल।
8. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, न्यू रोड, नियर दून हॉस्पिटल, देहरादून।
9. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, कोटद्वार, पौड़ी गढ़वाल।
10. मुख्य नगर अधिकारी, नगर निगम, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
11. अध्यक्ष, कुमाऊँ गढ़वाल ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज हाउस, बाजपुर रोड, काशीपुर, ऊधमसिंहनगर।
12. निदेशक, आई.आई.टी. रूड़की, हरिद्वार हाईवे, रूड़की, हरिद्वार।
13. कुलपति, दून विश्वविद्यालय, केदारपुर, देहरादून।
14. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड राजकीय औद्योगिक विकास निगम लि., (सिडकुल), 29, आई.आई.ई. (आई.टी. पार्क), सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।
15. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, 11 मोहिनी रोड, देहरादून।
16. गार्ड फाईल।

सदस्य सचिव